रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102024-258146 CG-DL-E-22102024-258146

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602] No. 602] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2024/आश्विन 30, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2024/ASVINA 30, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2024

सं. 46/2024-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 660(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 27/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011, जो संख्यांक सा.का.नि. 153(अ), दिनांक 01 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- i. क्रम संख्या 6क. के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- ii. क्रम संख्या 6ख. के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- iii. क्रम संख्या 6ग. के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी।

6894 GI/2024 (1)

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/167/2024-टीआरय]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

टिप्पणी: - मूल अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011 को सा.का.िन. सं. 153(अ), दिनांक 01 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 44/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 27 सितम्बर, 2024, जिसे सा.का.िन. सं. 600 (अ), दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department Of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2024

No. 46/2024-Customs

G.S.R. 660(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011, namely:-

In the said notification, in the TABLE,-

- i. against S. No. 6A., in column (4), for the entry, the entry "nil" shall be substituted;
- ii. against S. No. 6B., in column (4), for the entry, the entry "nil" shall be substituted;
- iii. against S. No. 6C., in column (4), for the entry, the entry "nil" shall be substituted.
- 2 This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/167/2024-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note: - The principal notification No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011, and was last amended *vide* notification No. 44/2024-Customs, dated the 27th September, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 600(E), dated the 27th September, 2024.